

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgle2012@gmail.com, फ़ॉन्स नं. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक /आठ /न्यू0वे0 /श्रोआ० /2021 /2122

रायपुर, दिनांक— 18.03.2021

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3761 /613 /16—ए /82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :—

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जनवरी 2020	330	जुलाई 2020	336
फरवरी 2020	328	अगस्त 2020	338
मार्च 2020	326	सितम्बर 2020	340
अप्रैल 2020	329	अक्टूबर 2020	344
मई 2020	330	नवम्बर 2020	345
जून 2020	332	दिसम्बर 2020	342
कुल	$\frac{1975}{6} = 329.17$ 329	कुल	$\frac{2045}{6} = 340.83$ 341

इनका औसत 341 घोषित करता हूँ जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग—एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10—4 /2016 /16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10—4 /2016 /16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग—एक) परिशिष्ट “अ” के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgle2012@gmail.com, नो. 0771-2443513, 14, 15, 16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए
दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की
संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी—जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू०वे०/श०आ०/२०२१/२१२२, दिनांक 18.03.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है, जिसके कारण गत छःमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329.00 (2001=100 जनवरी 2020 से जून 2020 के आधार ऑकड़े) के ऊपर (341-329) 12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी—जून 2016) 2001=100 के आंकड़े के उपर प्रति छःमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रूपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रूपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रूपये 240 या प्रतिदिन रूपये 9.23 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है। (अनुसूची – “ख”)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा परिशिष्ट—“अ” के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची— ख एवं “ग” के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट— “अ”

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग—“एक”)

क्र0	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पथर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईंट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सर्वधन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चांवल मिल आठा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेप्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/बुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फ्यूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
1.	अगरबत्ती उद्योग।
2.	किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट “ब” (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :—

“**अकुशल कर्मचारी**” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“**अर्द्धकुशल कर्मचारी**” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्ग का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्ग के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“**कुशल कर्मचारी**” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“**उच्च कुशल कर्मचारी**” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होंगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय हैं। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन “अ” –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञाप्ति ली गयी है।

जोन “ब”–

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन “स” –

- जोन “अ” एवं “ब” में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

चत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग—एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक)

(दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	1160.00	44.62	9480.00	364.62 (365)	अ	8320.00	320.00	1400.00	53.85	9720.00	373.85 (374)
		ब	8060.00	310.00	1160.00	44.62	9220.00	354.62 (355)	ब	8060.00	310.00	1400.00	53.85	9460.00	363.85 (364)
		स	7800.00	300.00	1160.00	44.62	8960.00	344.62 (345)	स	7800.00	300.00	1400.00	53.85	9200.00	353.85 (354)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	1160.00	44.62	10130.00	389.62 (390)	अ	8970.00	345.00	1400.00	53.85	10370.00	398.85 (399)
		ब	8710.00	335.00	1160.00	44.62	9870.00	379.62 (380)	ब	8710.00	335.00	1400.00	53.85	10110.00	388.85 (389)
		स	8450.00	325.00	1160.00	44.62	9610.00	369.62 (370)	स	8450.00	325.00	1400.00	53.85	9850.00	378.85 (379)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	1160.00	44.62	10910.00	419.62 (420)	अ	9750.00	375.00	1400.00	53.85	11150.00	428.85 (429)
		ब	9490.00	365.00	1160.00	44.62	10650.00	409.62 (410)	ब	9490.00	365.00	1400.00	53.85	10890.00	418.85 (419)
		स	9230.00	355.00	1160.00	44.62	10390.00	399.62 (400)	स	9230.00	355.00	1400.00	53.85	10630.00	408.85 (409)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	1160.00	44.62	11690.00	449.62 (450)	अ	10530.00	405.00	1400.00	53.85	11930.00	458.85 (459)
		ब	10270.00	395.00	1160.00	44.62	11430.00	439.62 (440)	ब	10270.00	395.00	1400.00	53.85	11670.00	448.85 (449)
		स	10010.00	385.00	1160.00	44.62	11170.00	429.62 (430)	स	10010.00	385.00	1400.00	53.85	11410.00	438.85 (439)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची

परिशिष्ट—“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—“ब” में देखें।



(अलेक्स पॉल मेनन)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता।
 (दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक) (दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	1160.00	38.67	9480.00	316.00 (316)	अ	8320.00	277.33	1400.00	46.67	9720.00	324.00 (324)
		ब	8060.00	268.67	1160.00	38.67	9220.00	307.33 (307)	ब	8060.00	268.67	1400.00	46.67	9460.00	315.33 (315)
		स	7800.00	260.00	1160.00	38.67	8960.00	298.67 (299)	स	7800.00	260.00	1400.00	46.67	9200.00	306.67 (307)
2	अद्वकुशल	अ	8970.00	299.00	1160.00	38.67	10130.00	337.67 (338)	अ	8970.00	299.00	1400.00	46.67	10370.00	345.67 (346)
		ब	8710.00	290.33	1160.00	38.67	9870.00	329.00 (329)	ब	8710.00	290.33	1400.00	46.67	10110.00	337.00 (337)
		स	8450.00	281.67	1160.00	38.67	9610.00	320.33 (320)	स	8450.00	281.67	1400.00	46.67	9850.00	328.33 (328)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	1160.00	38.67	10910.00	363.67 (364)	अ	9750.00	325.00	1400.00	46.67	11150.00	371.67 (372)
		ब	9490.00	316.33	1160.00	38.67	10650.00	355.00 (355)	ब	9490.00	316.33	1400.00	46.67	10890.00	363.00 (363)
		स	9230.00	307.67	1160.00	38.67	10390.00	346.33 (346)	स	9230.00	307.67	1400.00	46.67	10630.00	354.33 (354)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	1160.00	38.67	11690.00	389.67 (390)	अ	10530.00	351.00	1400.00	46.67	11930.00	397.67 (398)
		ब	10270.00	342.33	1160.00	38.67	11430.00	381.00 (381)	ब	10270.00	342.33	1400.00	46.67	11670.00	389.00 (389)
		स	10010.00	333.67	1160.00	38.67	11170.00	372.33 (372)	स	10010.00	333.67	1400.00	46.67	11410.00	380.33 (380)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—“ब” में देखें।



(अलेक्स पॉल मेनन)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर